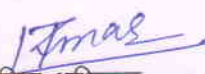


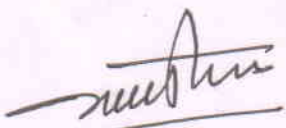
परियोजना-: मा० मुख्य मंत्री घोषणा सं०- 786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार से (समरजेन्स रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा रोड़ लगभग 4.90 कि०मी० का निर्माण किया जायेगा।

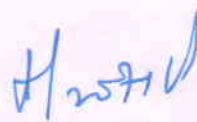
एम०ओ०यू० / अण्डरटेकिंग

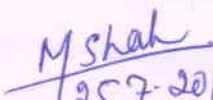
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित उक्त मार्ग के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यावर्तित होने वाली 2.240 है० वन भूमि के दुगने अवनत सिविल सोयम भूमि 4.480 है० में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य के लिए स्थल चयन हेतु राजस्व विभाग की ओर क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक वन विभाग की ओर से वन संरक्षक चकराता वन प्रभाग चकराता प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से सहायक अभियन्ता कनिष्ठ अभियन्ता व अमीन अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० सहिया एवं स्थानीय ग्राम वासियों के साथ जनपद देहरादून में तहसील कालसी के अन्तर्गत मौजा लूहन ग्राम लोहारना में खाता संख्या 65 के खसरा नम्बर 35 का कुल क्षेत्रफल 1.620 है०, खसरा नम्बर 37 का कुल क्षेत्रफल 0.500 है०, एवं खसरा नम्बर 38 का कुल क्षेत्रफल 0.740 है० के मध्ये कुल अर्जित रकबा 4.480 है० भूमि का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त भूमि नान ज्येड०ए० खतौनी की श्रेणी 5 (3) ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज है। एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु स्थल उपयुक्त है। अतः उक्त भूमि को विषयक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु हस्तान्तरित किये जाने पर राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

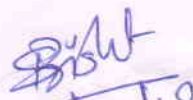

अमीन
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया,


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया,


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया


अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
सहिया,


25.7.2018
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-.....


27/07/18
R.S. लोहारी


तहसीलदार
कालसी